न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, म0प्र0

रामरतन पिता रामसींग
निवासी ग्राम बांसा सर्किल जैसीनगर
तहसील सागर जिला सागर म0प्र0 --- आवेदक

10 SEP 2015

बनाम

मुन्शीलाल आत्मज भागीरथ कुर्मी
निवासी ग्राम बांसा तहसील व जिला सागर --- अनावेदक

राज0प्रक0क्रमांक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959

आवेदक श्रीमान राजस्व निरीक्षक जैसीनगर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 59अ12, वर्ष 2014-015 में पारित आदेश दिनांक 12-6-15 से परिवेदित होकर नीचे लिखे आधारों एवं तथ्यों पर निगरानी याचिका प्रस्तुत करता है :-

1- यह कि, संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि अनावेदक मुन्शीलाल द्वारा मौजा बांसा पट0ह0नं0 168 की भूमि खसरा नंबर 316 रकबा 1-86 है0 के सीमांकन किये जाने बाबत आवेदन पत्र श्रीमान राजस्व निरीक्षक जैसीनगर के न्यायालय में दिनांक 22-6-15 को प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर दिनांक 30-5-15 को हल्का पटवारी द्वारा आवेदक को बिना सूचना पत्र दिये आवेदक की अनुपस्थिति में सीमांकन कर आवेदक को रकबा 0-10 है0 का अतिक्रमणधारी बताते हुए अपना प्रतिवेदन श्रीमान राजस्व निरीक्षक जैसीनगर के यहां प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर श्रीमान राजस्व निरीक्षक जैसीनगर ने दिनांक 12-6-15 को आदेश पारित किया, जिसके विरुद्ध यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है ।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग 3450/II/15 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8.2.16	मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के कायमी पर तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया। इनके आधार पर मैं निम्न बिन्दु प्रकरण में प्रमुखता से विचार योग्य पाता हूँ :- 1) निगराकार रामरतन के सूचनापत्र और पंचनामे हस्ताक्षर नहीं हैं, ना ही यह लिखा है कि उसने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया। 2) रामरतन, अनावेदक मुन्शीलाल का सरहदी कृषक है, और मुन्शीलाल की भूमि के अंश भाग पर सीमांकन उपरान्त रामरतन का कब्जा पाया गया है। 3) सीमांकन प्रतिवेदन में यह लिखा है कि मौके पर पड़ोसी कृषक (रामरतन) ने पारिवारिक बटवारे का नक्शा दिखाया था, जिसे देखने पर पटवारी को चालू नक्शे की त्रुटि समझ में आई थी, जिस कारण पटवारी ने उभयपक्ष को न्यायालय में नक्शा सुधार हेतु समझाइश दी थी। उपरोक्त बिन्दुओं के प्रकाश में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उभयपक्ष के मध्य नक्शे की त्रुटि की स्थिति विद्यमान हो सकती है। भविष्य में विवाद ना हो,	

[कृ. प. उ.

R-3450/II/15 सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
2/2/2019	मुं.श्री/2018	

इस के लिए पहले नक्शे की शुद्धता सुनिश्चित कर ली जानी चाहिए।

अतः, मैं संबंधित तहसीलदार, सागर को यह निर्देश देता हूँ कि वे अपक्ष को अपने समक्ष पक्षसमर्थन का अवसर दें, जिसमें यदि वे नक्शे त्रुटि संबंधी या अन्य कोई सुसंगत बिन्दु उठाएं, तो उनका निराकरण या तो बोलते स्वरूप के आदेश से वे स्वयं करें, या फिर सक्षम न्यायालय/अधिकारी की ओर उन्हें निराकरण के लिए आवश्यकतानुसार भेजें। यह समस्त कार्यवाही तहसीलदार, रा. मं. के इस आदेश की उन्हें संसूचना के अधिकतम 6 सप्ताह के भीतर, अनिवार्यतः पूर्ण करें। तब तक के लिए आक्षेपित सीमांकन आदेश दि 12-6-15 प्रभावहीन रहेगा।

उपरोक्त कार्यवाही के फलस्वरूप यदि पुनः आवेदक की भूमि के सीमांकन की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसा सीमांकन, यथाशीघ्र, उभयपक्ष को सूचना एवं पक्ष समर्थन का अवसर, जो अभिलेख पर परिलक्षित हो, देते हुए, किया जाए।

न्यायहित में विलम्ब माफ किया जाता है।

आदेश पारित।
तहसीलदार, सागर एवं पक्षकार सूचित हों।
प्रकरण समाप्त। दा. द. हो।

8-2-16
(सदस्य)